समक्ष सुदीप अहलूवालिया, न्यायमूर्ति

विजय गणपति-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादीगण

सीआर नं.5694 ऑफ़ 2016

नवंबर 28, 2019

ए. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आ. 18 नि.3-ए- अन्य गवाहों के साक्ष्य की अनुमति पक्ष के साक्ष्य के समक्ष केवल अदालत के कारण दर्ज करने के बाद ही दी जा सकती है।

यह आयोजित कि इस कानूनी स्थिति पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि यदि कार्यवाही में पक्ष के अलावा अन्य गवाहों के साक्ष्य की अनुमति दी जाती है, तो न्यायालय को ऐसी अनुमति के अनुसार अपने कारण दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

(पैरा 8)

बी. अन्य गवाहों के बयानों को टालना-यदि कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है तो इसकी अनुमति नहीं है।

आयोजित कि इसलिए संक्षेप में, इस न्यायालय की राय है कि इस स्तर पर, वादी गवाह 4 और 5 के साक्ष्य को केवल इस कारण से हटा दिया जाना एक उपयुक्त मामला नहीं है क्योकि निचली अदालत ने वादी गवाह 1 की जिरह पूरी होने से पहले उनके साक्ष्य की अनुमति देने के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया, जब निस्संदेह, अदालत के समक्ष कोई गंभीर आपत्ति, कम से कम लिखित रूप में, नहीं उठाई गई थी और याचिकाकर्ता के पक्ष में उन गवाहों की जिरह पूरी की गई थी, बिना किसी आपत्ति को दर्ज करने पर जोर दिए कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा किसी वादी को एक ही समय पर स्वीकार करने और अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, पहले वास्तव में और सक्रिय रूप से गवाहों से जिरह करके साक्ष्य में भाग लेने और फिर उन्हीं साक्ष्य को केवल इस आधार पर हटाना कि उस स्तर पर उनके साक्ष्य को स्वीकार करने का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था ।

(पैरा 10)

गगनदीप एस. सिर्फिखी अधिवक्ता
याचिकाकर्ता के लिए।
पवन कुमार झंडा, सहायक, ए. जी. हरियाणा
प्रतिवादी नं.1- राज्य ।
अमित जैन, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 2

सुदीप अहलूवालिया, न्यायमूर्ति

(1) केस में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायधीश, गुडगांव द्वारा पारित 10 अगस्त, 2016 के आदेश के विरुद्ध इस संशोधन को प्राथमिकता दी गई है यानी याचिका नं.10/3-5-12/22-4/16 के माध्यम से, याचिकाकर्ता, जो सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में, 'सी. पी. सी.') के आदेश 18 नियम 3-ए के साथ पढ़े धारा 151 के तहत दायर उक्त प्रोबेट याचिका में प्रतिवादी संख्या 2 है, के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

(2) विद्वान अदालत द्वारा निचे पारित आदेशों का विवादित आदेश की तारीख से पहले यानी 30 जनवरी, 2016 और 20 फरवरी, 2016 का उल्लेख करके मामले की पृष्ठभूमि को समझा जा सकता है। इन दोनों आदेशों को नीचे दिया गया है:-

"वादी गवाह 1 उपस्थित है और उसकी प्रतिपरीक्षा आंशिक रूप से दर्ज की गई है।वादी गवाह 1 की प्रतिपरीक्षा को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि अन्य गवाह आज अदालत में मौजूद नहीं हैं और प्रतिवादी नं.2 के लिए विद्वान वकील उससे जिरह अन्य गवाहों के साथ करना चाहता है। अब वादी गवाह 1 की आगे की प्रतिपरीक्षा के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं के शेष साक्ष्य के लिए 20.2.2016 को आना होगा।

अतिरिक्त जिला न्यायधीश/गुड़गांव।30.1.2016"

वादी गवाह 4 और वादी गवाह 5 की प्रतिपरीक्षा संपन्न हुई। वादी गवाह 1 उपस्थित है और उसकी प्रतिपरीक्षा आंशिक रूप से दर्ज की गई है। वादी गवाह 1 की प्रतिपरीक्षा को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि अदालत का समय समाप्त हो गया है।अब वादी गवाह 1 की आगे की प्रतिपरीक्षा के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं के शेष साक्ष्य के लिए 25.3.2016 को आना होगा ।

अतिरिक्त जिला न्यायधीश गुड़गांव।20.2.2016"

(3) 20 फरवरी, 2016 के आदेश को पारित करने के बाद, याचिकाकर्ता ने 24 मार्च, 2016 को अपना उपरोक्त आवेदन (अनुलग्नक पी-8) दायर किया, जो मूल वादी गवाह -1 की प्रतिपरीक्षा के लिए निचली व विद्वान अदालत द्वारा निर्धारित तिथि थी । उक्त आवेदन का समर्थन याचिकाकर्ता-श्री विजय गणपति के एक शपथ पत्र द्वारा और श्री के. सुरेंदर वकील द्वारा शपथ लिए गए एक अलग शपथ पत्र द्वारा भी किया गया था जो दोनों शपथ पत्र दिनांक 24 मार्च, 2016 आवेदन (अनुलग्नक पी-8) का हिस्सा हैं।

(4) हालाँकि विद्वान निचली न्यायालय ने याचिकाकर्ता के आवेदन में कोई योग्यता नहीं पाई और निम्नलिखित कारणों को दर्ज करने के बाद इसे खारिज कर दिया!

"4. आवेदन के जवाब में, यह आग्रह किया जाता है कि आवेदक याचिका की कार्यवाही में

लगातार देरी कर रहा है।अदालत ने बार-बार आवेदक के आचरण को नोट किया है। वास्तव में याचिकाकर्ता से पहली बार में पूछताछ की गई और उसने अपना हलफनामा 29.9.2015 को प्रस्तुत किया, जिसके बाद आवेदक/प्रतिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के लिए स्थगन ले लिया।इसके बाद मामले को 7.10.2015 के लिए स्थगित कर दिया गया।17.10.2015 को शेष गवाहों से पूछताछ की गई, हालांकि, आवेदक ने उपस्थित नहीं होने का फैसला किया और एकपक्षीय के खिलाफ कार्रवाई की गई।बहस के लिए मामले को 26.10.2015 के लिए स्थगित कर दिया गया। 26.10.2015 को, आवेदक ने एकपक्षीय कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे बाद में अनुमति दी गई। हालाँकि, आवेदक के आचरण को देखते हुए, उस पर Rs.10,000/- की भारी लागत लगाई गई थी। उसके बाद 30.01.2016 पर, याचिकाकर्ता से जिरह की गई, लेकिन आगे की जिरह को स्थगित कर दिया गया और मामले को 20.2.2016 तक स्थगित कर दिया गया। 20.2.2016 को याचिकाकर्ता से आगे जिरह की गई, हालाँकि, इसे फिर से स्थगित कर दिया गया क्योंकि अदालत का समय समाप्त हो गया था। लेकिन, आवेदक ने बिना किसी आपत्ति के अन्य गवाहों यानी वादी गवाह 1 और वादी गवाह 5 से पूछताछ की। चूँकि ये दोनों गवाह अधिवक्ता थे, इसलिए यह उचित समझा गया कि उनसे जिरह की जाए और समय पर उन्हें मुक्त किया जाए। आवेदक ने वादी गवाह 4 और वादी गवाह 5 की प्रतिपरीक्षा से पहले याचिकाकर्ता की प्रतिपरीक्षा के संबंध में कभी कोई आपत्ति नहीं जताई।आवेदन कुछ भी नहीं है, बल्कि आवेदक की ओर से देरी करने की रणनीति है।इस बात से इनकार किया जाता है कि भागने का दंड याचिकाकर्ता पर पूरी तरह से लागू होता है और इस प्रकार, उसने आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

5. फाइल के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता रमन शारदा ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 276 और 278 के तहत 3.5.2012 पर प्रोबेट देने के लिए याचिका दायर की थी।प्रतिवादीगण की उपस्थिति के बाद, उन्होंने एक के बाद एक आवेदन दायर करके मामले में देरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।अंत में अदालत द्वारा 18.5.2015 पर मुद्दे तैयार किए गए और मामले को पहली बार 4.7.2015 के लिए याचिकाकर्ताओं के साक्ष्य के लिए पोस्ट किया गया।याचिकाकर्ता ने अपना हलफनामा 29.9.2015 पर प्रस्तुत किया और आवेदक विजय गणपति के अनुरोध पर, मामले को 17.10.2015 उक्त गवाह की प्रतिपरीक्षा के लिए पोस्ट किया गया था, लेकिन 17.10.2015 पर आवेदक को एकपक्षीय के खिलाफ कार्यवाही की गई और मामले को तर्क के लिए 26.10.2015 तक स्थगित कर दिया गया। इसके बाद, एकपक्षीय कार्यवाही को अलग करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया, जिसे 10,000/- रुपये की

भारी लागत के साथ अनुमति दी गई और केस वादी गवाह 1 की प्रतिपरीक्षा के लिए 20.2.2016 के लिए मामला तय किया गया था। 20.02.2016 को वादी गवाह 4 और वादी गवाह 5 की प्रतिपरीक्षा समाप्त होने पर, वादी गवाह 1 की प्रतिपरीक्षा को फिर से स्थगित कर दिया गया क्योंकि अदालत का समय समाप्त हो गया था।वादी गवाह 4 कृष्ण कुमार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करते हैं।इसी तरह, वादी गवाह 5 शरत चंद्र नंदा भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं।इसलिए, प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि दोनों योग्य हैं। आदेश दिनांक 20.2.2016 से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आवेदक द्वारा उस समय ऐसी कोई आपत्ति नहीं ली गई थी, जो वादी गवाह 4 और वादी गवाह 5 की प्रतिपरीक्षा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा और मामले को 25.3.2016 के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 25.3.2016 को याचिकाकर्ता से प्रतिपरीक्षा करने के बजाय, तत्काल आवेदन दायर किया था।

6.इस प्रकार, आवेदक की याचिका कि याचिकाकर्ता की जिरह से पहले वादी गवाह 4 और वादी गवाह 5 की जिरह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश और आदेश 18 नियम 3-ए सीपीसी के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन, बिना किसी योग्यता के है क्योंकि विवेकाधिकार अदालत के पास उपलब्ध है और तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता बहुत अधिक उपस्थित था और याचिकाकर्ताओं के साक्ष्य के लिए निर्धारित पहली तारीख को ही हलफनामा दायर किया गया था, लेकिन खुद आवेदक के अनुरोध पर जिरह को स्थगित कर दिया गया था।इसलिए, उसे अपने अलावा किसी और द्वारा पैदा की गई स्थिति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इसलिए, आवेदक द्वारा जिस कानून पर भरोसा किया गया है, वह मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।7. अदालत आवेदन में कोई योग्यता नहीं पाती है जो कि पहले से ही बहुत पुरानी याचिका में देरी करने के उद्देश्य से प्रक्रिया का दुरुपयोग है।इस प्रकार, आवेदन बिना योग्यता के है और Rs.5000-की विशेष लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण में लागत का भुगतान, मामले के आगे के अभियोजन से पहले पूर्ववर्ती शर्त होगी।"

(5) उपरोक्त निर्णय को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता ने सबसे पहले इस न्यायालय का ध्यान आदेश 18 नियम 3-ए सी. पी. सी. के नंगे अवलोकन की ओर आकर्षित किया है, जो प्रदान करता है

"3-ए. पक्ष को अन्य गवाहों के सामने पेश होना होगा -जहां एक पक्ष स्वयं गवाह के रूप में उपस्थित होना चाहता है उसे अपनी ओर से किसी अन्य गवाह के समक्ष उपस्थित होना

होगा, जब तक कि न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, उसे बाद के चरण में अपने स्वयं के गवाह के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं देता है।"

(6) याचिकाकर्ता के लिए एल. डी. वकील ने आगे इस अदालत की एक पीठ की टिप्पणियों पर भरोसा किया है जिसमें जसवीर सिंह और अन्य बनाम जसपाल सिंह1 को उनके आवेदन दिनांक 24.3.2016 (अनुलग्नक पी-8) में बड़े पैमाने पर पुनः प्रस्तुत किया गया था और इसके महत्वपूर्ण उद्धरण नीचे दिए गए हैं –

"पक्षों का मानना है कि एक गवाह से किसी भी क्रम में पूछताछ की जा सकती है और पक्ष जब चाहें अपने स्वयं के बयान भी ला सकते हैं।इस नियम के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा यदि गवाहों की जांच के बाद पक्ष से पूछताछ करने के लिए संहिता के आदेश 18 नियम 3ए के तहत कोई अनुमति नहीं ली जाती है और इसके परिणामस्वरूप पक्षकारों के साक्ष्य को छोड़ दिया जा सकता है। मैं इस निर्देश को भविष्य के सभी मामलों में लागू करने के लिए जारी करूंगा, ताकि यह संहिता के आदेश 18 नियम 3ए और शासनादेश का पालन न करने के परिणामों को लागू न करे।यदि, भविष्य में, कोई भी पक्ष पहले अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है और पहले तीसरे पक्ष के गवाहों को लाता है और बाद में बिना पूर्व अनुमति लिए साक्ष्य देने का प्रस्ताव देता है, तो पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले विरोधी पक्ष ऐसे साक्ष्य का विरोध कर सकता है।निचली अदालत तब तक सबूत देने की अनुमति नहीं देगी जब तक कि वह लिखित रूप में कारण नहीं बताती कि ऐसी अनुमति क्यों दी जा रही है।गुरमैल चंद बनाम अशोक वर्मा 2004 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 164 में इस अदालत ने कहा था कि यदि पक्ष के अलावा अन्य गवाहों से पूछताछ की जाती है और पक्ष से बाद में पूछताछ की जाती है, तो कोई आपत्ति नहीं ली जा सकती है।मेरे सम्मानपूर्ण विचार में, यह घोड़े के आगे गाड़ी रखने के बराबर होगा।आपत्तियाँ केवल तभी उचित रूप से ली जा सकती हैं जब पक्ष सुझाव साक्ष्य प्रस्तुत करता है और तब नहीं जब तीसरे पक्ष की गवाही दी गई हो।"

(7) इसके बाद इस न्यायालय का एक पूर्ण पीठ का निर्णय अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम ईशरी देवी2 पर भी याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसका आलोकन भी किया गया है!

"9. प्रक्रियात्मक कानूनों के संबंध में निर्माण के उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अब हम नियम 3-ए की भाषा पर वापस जा सकते हैं। इसके एक नंगे संदर्भ से यह स्पष्ट हो जाएगा कि विधानमंडल ने निस्संदेह यह नियम निर्धारित किया है कि उनकी ओर से अपने स्वयं के गवाह के रूप में पेश होने वाले पक्ष की जांच की गई है। हालाँकि, समान रूप से स्पष्ट

शब्दों में उक्त नियम के लिए एक अपवाद भी स्वयं विधानमंडल द्वारा प्रदान किया गया है।यह है कि अदालत की अनुमति से एक पक्ष को पर्याप्त कारण के लिए अपने एक या सभी गवाहों की परीक्षा के बाद के चरण में भी उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है।इसलिए, यह इस बात पर प्रकाश डालने योग्य है कि जिस नियम में किसी पक्ष को पहले गवाह-बक्से में कदम रखने की आवश्यकता होती है, वह कठोर नहीं है और अदालत की अनुमति से इसमें ढील दी जा सकती है।हालाँकि यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि क़ानून की भाषा किसी भी तरह से उस सटीक समय को निर्धारित नहीं करती है जिस पर बाद में उपस्थित होने की अनुमति प्राप्त की जानी है।यह नहीं कहता है कि यह अनिवार्य रूप से पहली बार होना चाहिए जब उसकी ओर से किसी गवाह से पूछताछ की गई हो।इसलिए, कोई यह कह सकता है कि क़ानून उस चरण के बारे में चुप है जिस पर अनुमति प्राप्त की जानी है। ना ही यह कहा जा सकता है कि आवश्यक इरादे से विधायिका ने यह निर्धारित किया है कि उक्त अनुमति साक्ष्य की शुरुआत में ही ली जानी चाहिए, ना कि बाद में।वास्तव में, जब व्यापक रूप से समझा जाता है, तो विधानमंडल का इरादा यह प्रतीत होता है कि अब निर्धारित सामान्य और सामान्य नियम यह है कि अपने स्वयं के गवाह के रूप में उपस्थित होने वाले पक्ष को अपने किसी भी गवाह के सामने ऐसा करना चाहिए।हालांकि, यह नियम एक अपरिवर्तनीय या पवित्र नहीं है और पर्याप्त कारणों के आधार पर अदालत की अनुमति से स्पष्ट रूप से विचलित हो सकता है।ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए कानून द्वारा कोई विशिष्ट चरण निर्धारित या तय नहीं किया गया है, एक पक्ष अपना साक्ष्य शुरू करने के चरण में शायद अत्यधिक सावधानी के रूप में बरत सकता है और आवश्यक अनुमति प्राप्त कर सकता है और समान रूप से, यदि पर्याप्त आधार बनाया है, तो वह बाद के चरण में इसे सुरक्षित किया जा सकता है।

10.अब उदाहरणों पर आते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जगन्नाथ नायक के मामले (उपरोक्त) को स्वयं उसी अदालत की एक खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है, इसके तर्क की जांच या खंडन करना स्पष्ट रूप से व्यर्थ होगा। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि प्रावधान के विधायी इतिहास और विशेष रूप से विधि आयोग की रिपोर्ट उस दृष्टिकोण को लेने के लिए कुछ निर्भरता राखी गई थी, जिस पर विचार किया गया था और मैसर्स क्वालिटी रेस्तरां, अमृतसर के मामले (ऊपर) में हटाया गया जिसमे इस विशिष्ट बिंदु पर एक विस्तृत संदर्भ दिया जा सकता है। पुनः एक ही आधार पर फिर से चलना और मकुनी देवी के मामले (ऊपर) में खंड पीठ के तर्क और मोहम्मद अकील के मामले में (ऊपर) में इलाहाबाद के दृष्टिकोण से सहमत होना व्यर्थ होगा। मैं यह मानूंगा कि नियम 3-ए के प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका हैं

और अदालत को अनुमति देने के अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं किया जाता है जब उसके लिए कोई आवेदन अच्छे कारणों से किया जाता है।
11.इस मामले को दूसरे कोण से भी देखा जा सकता है।नियम के अनिवार्य या निर्देशिका होने के मुद्दे के अलावा, यह स्पष्ट है कि पक्ष के अपने अन्य गवाहों के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में उसमें दिए गए आदेश को स्वयं एक अपवाद के साथ प्रदान किया गया है जहां अदालत द्वारा पर्याप्त कारणों से अन्यथा करने की अनुमति दी जा सकती है।जब प्रावधान स्वयं अधिदेश और अपवाद दोनों प्रदान करता है, तो एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है।यहाँ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुद्दे पर सही सवाल सामान्य नियम के संबंध में नहीं है कि पक्ष अपनी ओर से किसी भी गवाह के सामने उपस्थित होगा, बल्कि उस चरण से संबंधित है जिस पर बाद के चरण में उपस्थित होने की ऐसी अनुमति प्राप्त की जानी है।जबकि इसके अपवाद के साथ सामान्य नियम का सामान्य रूप से पालन किया जा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुमति प्राप्त करने के चरण के संबंध में नियम 3-ए में कुछ भी लचीला नहीं है। इसलिए, मेरा मानना है कि इस तरह की अनुमति बाद के चरण में भी ली जा सकती है और यदि अदालत को इसमें योग्यता मिलती है तो उसे इस तरह की प्रार्थना को स्वीकार करने से नहीं रोका जाएगा।समान रूप से यह याद रखने योग्य भी है कि विधानमंडल ने स्वयं आवश्यकता निर्धारित करके या ऐसा करने के कारणों को दर्ज करके एक निश्चित सुरक्षा निर्धारित की है।”

(8) इस कानूनी स्थिति पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि यदि कार्यवाही में पक्ष के अलावा अन्य गवाहों के साक्ष्य की अनुमति दी जाती है, तो अदालत को ऐसी अनुमति के अनुसार अपने कारण दर्ज करने की आवश्यकता होती है।वास्तव में, यह सी. पी. सी. के आदेश 18 नियम 3-ए की सांविधिक आवश्यकता है जो पहले से ही ऊपर प्रस्तुत की गई है।'जस्वीर सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की टिप्पणियां केवल वैधानिक आदेश की पुनरावृत्ति हैं। यह भी सही है कि 20.2.2016 को पारित प्रश्नगत आदेश में कोई कारण दर्ज नहीं है कि वादी गवाह 4 और 5 की जांच वादी गवाह 1 प्रतिपरीक्षा के पूरा होने से पहले यानी प्रोबेट कार्यवाही में मूल आवेदक की क्यों की गई थी। इस संबंध में याचिकाकर्ता का तर्क है कि वादी गवाह 4 और 5 का ऐसा साक्ष्य निचली अदालत द्वारा उनके वकील श्री के. सुरेंद्र द्वारा मौखिक आपत्ति उठाए जाने के बावजूद लिया गया था जिनका अपना शपथ पत्र बाद की तारीख को दायर आवेदन के साथ संलग्न है, जो वादी गवाह 1 की प्रतिपरीक्षा फिर से शुरू करने के लिए तय किया गया था।

(9) लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आदेश दिनांक 20.2.2016 कहीं भी इस बात का संकेत नहीं देता है कि ऐसी कोई आपत्ति उठाई गई थी।जो भी हो वो हो, तथ्य यह है कि न

केवल वादी गवाह 4 और 5 की संबंधित तिथि पर जांच की गई थी, बल्कि याचिकाकर्ता की ओर से उनकी प्रतिपरीक्षा भी की गई थी।यदि वादी गवाह 1 की प्रतिपरीक्षा पूरी होने से पहले ऐसी परीक्षा के खिलाफ कोई गंभीर आपत्ति थी, तो याचिकाकर्ता के वकील के लिए गवाहों से प्रतिपरीक्षा करने से इनकार करना और इस बात पर जोर देना हमेशा खुला था कि वह पहले वादी गवाह 1 की प्रतिपरीक्षा पूरी करेगा।लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई।याचिकाकर्ता पक्ष के लिए यह भी खुला था कि वह तुरंत इस आशय का एक आवेदन दर्ज करे कि वे अदालत में वादी गवाह 4 और 5 के साक्ष्य को लेने से पहले वादी गवाह 1 की प्रतिपरीक्षा पूरी करने पर जोर देंगे, लेकिन इस विकल्प का भी उपयोग नहीं किया गया।बल्कि वादी गवाह 4 और 5 की जिरह वास्तव में पूरी हो गई थी और उसके बाद वादी गवाह 1 की जिरह फिर से शुरू की गई थी और अदालत का समय समाप्त होने तक कुछ हद तक की गई थी।निस्संदेह दिनांक 20.2.2016 सम्बंधित आदेश इस हद तक प्रक्रियात्मक दुर्बलता से ग्रस्त है कि वादी गवाह 4 और 5 की प्रतिपरीक्षा के पूरा होने से पहले अनुमति देने के कारण दर्ज नहीं किए गए हैं, लेकिन साथ ही, इस तथ्य से भी दृष्टि नहीं हटाई जा सकती है कि उनकी प्रतिपरीक्षा भी याचिकाकर्ता पक्ष द्वारा की गई थी, जब इसे अनुमति दिए जाने के कारणों को दर्ज करने के आग्रह के साथ बहुत अच्छी तरह से अस्वीकार किया जा सकता था। आदेश दिनांक 20.2.2016 पारित होने के बाद भी, याचिकाकर्ता पक्ष ने उस आदेश को चुनौती देने के बजाय निचली अदालत के समक्ष एक महीने से अधिक समय बाद वादी गवाह 4 और 5 के साक्ष्य को छोड़ने के लिए आवेदन दायर किया, जिसके तहत उनके साक्ष्य दर्ज किए गए थे, और वह भी ऐसी स्थिति में जब उसने उन गवाहों से पहले ही जिरह करके कार्यवाही में सक्रिय रूप से सहयोग किया था।याचिकाकर्ता पक्ष का ऐसा दृष्टिकोण निश्चित रूप से पहले की कार्यवाही के दौरान लंबी देरी का कारण बनने के अपने पिछले आचरण के पैटर्न में फिट बैठता है, जिसका विवरण विद्वान निचली अदालत द्वारा पहले ही अविवादित आदेश में नोट किया जा चुका है और जिसे उपरोक्त पैरा 4 में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

(10) इसलिए संक्षेप में, इस न्यायालय की राय है कि इस स्तर पर, वादी गवाह 4 और 5 के साक्ष्य को यूं ही मिटा दिया जाए क्योकि यह एक उचित केस नहीं है कि क्योकि विद्वान निचली अदालत ने वादी गवाह 1 की प्रतिपरीक्षा के पूरा होने से पहले उनके साक्ष्य की अनुमति देने के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया, जब निस्संदेह, अदालत के समक्ष कोई गंभीर आपत्ति, कम से कम लिखित रूप में, नहीं उठाई गई थी और याचिकाकर्ता की ओर से उन गवाहों की प्रतिपरीक्षा

पूरी की गई थी, बिना किसी आपत्ति को दर्ज करने पर जोर दिए कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था।इसके अलावा, एक वादी को एक ही समय में अनुमोदन करना और खंडन करना की अनुमति नहीं दी जा सकती पहले वास्तव में और सक्रिय रूप से गवाहों से जिरह करके साक्ष्य में भाग लेने और फिर उन्हीं साक्ष्य को केवल इस आधार पर हटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उस स्तर पर उनके साक्ष्य को स्वीकार करने का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था।

(11) यदि कुछ भी हो, वर्तमान मामले में, यह याचिकाकर्ता ही है जो घोड़े के सामने गाड़ी रखने के समान कार्य करता प्रतीत होता है, जो अभिव्यक्ति विडंबनापूर्ण रूप से इस अदालत की टिप्पणियों जसवीर सिंह के मामले (ऊपर) में उल्लेखित है! गुरमैल चंद के मामले (ऊपर) में निर्णय का उल्लेख करते हुए जैसा कि पहले पुनः प्रस्तुत किया गया था।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुकदमे के शुरुआती चरण में, वादी गवाह -1 की आंशिक प्रतिपरीक्षा वास्तव में याचिकाकर्ता की ओर से की गई थी, जिसने इसके बाद स्वयं इसे स्थगित 30.01.2016 को करने की मांग की थी क्योंकि वह चाहता था कि उससे 'उसके अन्य गवाहों के साथ'प्रतिपरीक्षा की जाए।अब यदि आदेश 18 नियम 3-ए सी. पी. सी. के प्रावधानों का याचिकाकर्ता द्वारा जोर दिए जाने के अनुसार सख्ती से पालन किया जाना था, तो यह सुनिश्चित करना भी उसका दायित्व था कि उसकी ओर से पी. डब्ल्यू. 1 (आवेदक) की प्रतिपरीक्षा उसके शेष गवाहों के साक्ष्य लेने से पहले ही पूरी हो जाए।लेकिन याचिकाकर्ता ने स्वयं अपने वकील के माध्यम से इस तरह की प्रतिपरीक्षा को स्थगित कर दिया, जिसके बाद उसके अन्य गवाहों की प्रतिपरीक्षा में अगली तारीख को पूरा करने के लिए साक्ष्य प्राप्त किया, जिसके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए बिना उसकी प्रतिपरीक्षा फिर से शुरू की गई कि यदि आवश्यक हुआ तो अन्य गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने पर उसकी आपत्ति को बाद के चरण में सत्यापित किया जा सकता है। दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, वह निश्चित रूप से उन गवाहों के ऐसे साक्ष्य के निष्कासन की मांग करने का हकदार नहीं प्रतीत होता है, जिनसे आवेदक (वादी गवाह 1) की प्रतिपरीक्षा शुरू में उसके अनुरोध पर स्थगित किए जाने के बाद उनकी ओर से स्वेच्छा से प्रतिपरीक्षा की गई है।प्रारंभिक चरणों में कार्यवाही में लंबे समय तक देरी करने के उनके पिछले रिकॉर्ड के साथ यह आचरण निश्चित रूप से उन्हें इस न्यायालय से कोई छुट प्राप्त करने का अधिकार नहीं देगा।

(12) कोई गुण नहीं। बर्खास्त !

(13) एल. डी. निचली अदालत को अब निर्देश दिया गया है कि वह अपने समक्ष लंबित कार्यवाही को यथासंभव तेजी से पूरा करने का प्रयास करे, अधिमानतः दिन-प्रतिदिन के आधार पर किसी

भी पक्ष को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना यदि इस आदेश के संचार की तारीख से चार महीने के भीतर कार्यवाही पूरी हो जाती है तो इसकी सराहना की जाएगी।

तेजिंदरबीर सिंह

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है ! सभी व्यव्हारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा !

आजाद सिंह (अनुवादक)